अध्याय-3: राज्य उत्पाद शुल्क

3.1 कर प्रबंध

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग, सरकारी स्तर पर प्रशासनिक मुखिया हैं तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) विभागाध्यक्ष हैं। ई.टी.सी. को मुख्यालय पर सहयोग क्लैक्टर (आबकारी) द्वारा तथा फील्ड में राज्य आबकारी अधिनियमों/नियमों के उचित प्रबन्ध के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) {डी.ई.टी.सीज (आबकारी)}, सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओज), निरीक्षकों एवं अन्य सहायक स्टॉफ द्वारा दिया जाता है।

उत्पाद शुल्क राजस्व मुख्यतः विभिन्न ठेकों के लाईसैंस की प्रदानगी हेतु लाईसैंस फीस, डिस्टलरियों/ब्रेवरिज में उत्पादित और एक राज्य से दूसरे राज्य को आयातित/निर्यातित स्पिरिट/बीयर पर उद्ग्रहीत उत्पाद शुल्कों से प्राप्त किया जाता है।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2016-17 के दौरान राज्य आबकारी विभाग की 94 इकाइयों में से 37 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 634 मामलों में ₹ 13.48 करोड़ से आवेष्टित उत्पाद शुल्क/लाईसैंस फीस/ब्याज/पेनल्टी की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट की जो निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं जैसा कि **तालिका 3.1** में तालिकाबद्ध है।

तालिका 3.1- लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	लाईसैंस फीस जमा न करना/कम जमा करना तथा ब्याज की हानि	254	5.90
2	ठेकों के पुनः आबंटन पर लाईसैंस फीस की अंतरीय राशि की वसूली न करना	12	4.06
3	अतिरिक्त शुल्क/पेनल्टी न लगाना	229	1.56
4	अवैध शराब पर पेनल्टी की अवसूली	96	0.48
5	विविध अनियमितताएं	43	1.48
	योग	**634**	**13.48**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 158 मामलों में आवेष्टित ₹ 4.80 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियां स्वीकार की जिनमें से 133 मामलों में आवेष्टित ₹ 4.65 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने 33 मामलों में ₹ 18.64 लाख वसूल किए जिनमें से आठ मामलों में आवेष्टित ₹ 3.66 लाख वर्ष 2016-17 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं।

₹ 5.08 करोड़ से आवेष्टित कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.3 लाईसेंस फीस और ब्याज की अवसूली/कम वसूली

90 ठेके वर्ष 2015-16 के लिए देय लाईसेंस फीस की मासिक किस्तों का निर्धारित तिथियों तक भुगतान करने में विफल रहे तथा डी.ई.टी.सीज (आबकारी) ने ठेकों को बंद करने के लिए कार्रवाई आरंभ नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.43 करोड़ की लाईसेंस फीस की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.57 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राहय था।

वर्ष 2015-16 के लिए राज्य आबकारी नीति का पैरा 6.4 निर्धारित करता है कि भारत में बनी विदेशी शराब (आई.एम.एफ.एल.)/देसी शराब (सी.एल.) की बिक्रियों की दुकानों के लिए लाईसेंस वाले प्रत्येक लाईसेंसधारी प्रत्येक मास की 20 तारीख तक लाईसेंस फीस की मासिक किश्त का भुगतान करेगा। ऐसे करने में विफलता उसे, मास के प्रथम दिन से, जिसमें लाईसेंस फीस देय थी, किश्त या उसके किसी हिस्से के भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज अदा करने हेतु उत्तरदायी बना देगी। आगे राज्य आबकारी नीति के पैरा 6.5 के अनुसार, यदि लाईसेंसधारी मास के अंत तक ब्याज के साथ पूरी मासिक किश्त जमा करवाने में विफल रहता है तो लाईसेंस प्राप्त ठेके अगले मास के प्रथम दिन से चलना बंद हो जाएंगे और संबंधित जिले के उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त {डी.ई.टी.सी. (आबकारी)} द्वारा साधारणतः बंद किए जाएंगे।

डी.ई.टी.सीज (आबकारी) फतेहाबाद, कुरूक्षेत्र तथा रोहतक के वर्ष 2015-16 के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि लाईसेंसधारियों को आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. की बिक्री के लिए 20 ठेके ₹ 5.51 करोड़ पर आबंटित किए गए थे। लाईसेंसधारियों ने केवल ₹ 3.08 करोड़ की लाईसेंस फीस का भुगतान किया था और ₹ 2.43 करोड़ की शेष लाईसेंस फीस लाईसेंसधारियों द्वारा अभी जमा करवाई जानी थी। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 2.43 करोड़ की लाईसेंस फीस की कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 57.24 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहणीय था।

आगे लेखापरीक्षा ने देखा कि चार डी.ई.टी.सीज (आबकारी)[1] की 70 ठेकों ने अप्रैल 2015 और मार्च 2016 के मध्य की अवधि के लिए ₹ 26.88 करोड़ की लाईसेंस फीस की मासिक किश्तों का भुगतान 11 से 331 दिनों की देरी के साथ किया। डी.ई.टी.सीज (आबकारी) ने लाईसेंस फीस के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज उद्ग्रहण करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 99.43 लाख के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, सभी डी.ई.टी.सीज (आबकारी) ने बताया (नवंबर 2016 और अगस्त 2017 के मध्य) कि ₹ 9.08 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा चूककर्ताओं से ₹ 3.91 करोड़ की बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

मामला सितंबर 2016 तथा जनवरी 2017 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा जून 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2017)।

---

[1] गुरूग्राम, झज्जर, कुरूक्षेत्र तथा रोहतक।

3.4 पुनर्निलामी पर अंतरीय लाईसेंस फीस की अवसूली

विभाग मूल आबंटियों से लाईसेंस फीस की अंतरीय राशि वसूल करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.08 करोड़ के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

वर्ष 2015-16 के लिए राज्य आबकारी नीति का पैरा 6.5 तथा 2.19 निर्धारित करता है कि यदि आबंटी प्रतिभूति जमा का भुगतान करने में विफल रहता है और ब्याज के साथ लाईसेंस फीस के भुगतान में चूक करता है, लाईसेंसशुदा दुकान अगले मास के प्रथम दिन से बंद हो जाएगी और उप-आबकारी एवं कराधान अधिकारी (आबकारी), ई.टी.सी. की पूर्व अनुमति लेने के बाद मूल आवंटी के जोखिम और लागत पर इसका पुनः आबंटन कर सकता है।

डी.ई.टी.सीज (आबकारी) फतेहाबाद तथा रोहतक के वर्ष 2015-16 के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2015 के लिए तीन खुदरा दुकानों की नीलामी ₹ 3.07 करोड़ में की गई। आबंटी, तथापि, देय तिथि तक लाईसेंस फीस की पूरी मासिक किश्तों का भुगतान करने में विफल रहे। ₹ 3.07 करोड़ की कुल लाईसेंस फीस में से, आबंटियों ने ₹ 67.13 लाख की प्रतिभूति और मासिक लाईसेंस फीस जमा की और ₹ 2.40 करोड़ की शेष राशि जमा करने में विफल रहे। विभाग ने मई तथा जून 2015 के मध्य उनकी खुदरा दुकानों को रद्द कर दिया और बाद में शेष अवधि के लिए मूल आबंटियों के जोखिम और लागत पर ₹ 1.36 करोड़ में जुलाई तथा अक्तूबर 2015 के मध्य उन्हें पुनः नीलामी/आबंटित कर दी। जबकि विभाग ने दूसरे आबंटियों से ₹ 1.32 करोड़ वसूल किए, यह मूल आबंटियों से ₹ 1.08 करोड़ (₹ 2.40 करोड़- ₹ 1.32 करोड़) की लाईसेंस फीस की अंतरीय राशि को वसूल करने के लिए कार्यवाही करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.08 करोड़ के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

यह इंगित किए जाने पर, दोनों डी.ई.टी.सीज (आबकारी) ने अप्रैल 2017 में बताया कि चूककर्ता आबंटियों को नोटिस जारी किए गए थे तथा चूककर्ताओं से ₹ 1.08 करोड़ की बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

मामला सितंबर तथा दिसंबर 2016 में आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा मई 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2017)।